प्रेषिका,

गरिमा सक्सेना,
अपर सिविल जज
अवर खण्ड, ललितपुर।

सेवा में,

आदरणीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जिला न्यायाधीश,
ललितपुर।

विषयः शासनादेश संख्या 1705/दो-4-2011-45(12)91/टी०सी० लखनऊ, दिनांक 03.01.2012 एवं शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी०सी० लखनऊ, दिनांक 13.05.2010 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मेरे चयन के समय विधि स्नातकोत्तर (L.L.M.) उपाधि धारक होने के कारण तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महँगाई भत्ता नियुक्ति की तिथि 18.11.2019 से प्रदत्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीया ने दिनांक 18.11.2019 का अपर सिविल जज (अवर खण्ड) ललितपुर के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थीया उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर होने के कारण पदभार ग्रहण करने की दिनांक 18.11.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धिमय महँगाई भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त विधि स्नातकोत्तर उपाधि धारक होने के संबंध में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के आवेदनपत्र में भी वर्णित किया है।

अतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थीया को पदभार ग्रहण करने की दिनांक 18.11.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महँगाई भत्ता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिए प्रार्थीया का उक्त प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभुतिपूर्वक विचार किए जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

Garima Saxena
30.06.2020.

दिनांक 30.06.2020

(गरिमा सक्सेना),
अपर सिविल जज
अवर खण्ड, ललितपुर।

संलग्नः

01. विधि स्नातकोत्तर परीक्षा के अकंपत्र की छायाप्रति।

02. विधि स्नातकोत्तर उपाधि की छायाप्रति।